सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करणसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 67/12

1. श्योपतराम पुत्र श्री रूड़ा राम जाति नायक निवासी रिडमलसर तहसील पद्मपुर जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, पदमपुर।
2. श्रीमती सन्तोदेवी पत्नी मनफूल कथित पुत्री मूलाराम नायक निवासी चक 44 एन डी आर तहसील पीलीबंगा
3. श्रीमती धापु पत्नी बीरबलराम कथित पुत्री मूलाराम जाति नायक निवासी हिसामुकी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमती माही देवी पत्नी पूर्णराम कथित पुत्री मूलाराम नायक निवासी मांजूवास तहसील पदमपुर
5. सरपंच, ग्राम पंचायत 69 एल एन पी तहसील पदमपुर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश 19–12–12 तहसीलदार, (राजस्व) पदमपुर

उपस्थित : 1. श्री जसकरणसिंह सरां, श्री राजवीरसिंह अधिवक्तागण अपीलार्थीगण
2. श्री इन्द्रपाल सहारण, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 2 से 4
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1
4. रेस्पोडेन्ट सं0 5 की ओर से कोई हाजिर नहीं।

आदेश **दिनांक : 26–06–15**

पत्रावली राजस्व लोक अदालत के सक्षम प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील के सुसंगत तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि मूलराम पुत्र अमराराम के नाम से मौजा घमण्डीया बारानी तहसील पदमपुर के मुरब्बा नं 66 के 8 बीघा बारानी भूमि गैर खातेदारी दर्ज थी तथा उसने इस भूमि को जरिए मुखत्यार आम नत्थासिह पुत्र जंगीर सिंह ने अपीलांट को विक्रय करने का सौदा जरिए इकरारनामा दिनांक 06.02.1995 को किया गया। तब से अब तक अपीलांट उक्त भमि पर काबिज चला आ रहा है। मूलाराम का देहान्त हो चुका है उसका कोई वारिस नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 ने लालच वश होकर अपने आप को वारिस होन का गलत प्रमाण पत्र जारी करवाकर ग्राम पंचायत से गलत वारिस प्रमाण पत्र बनवाकर पंचायत से इंतकाल संख्या 209 जारी करवा लिया। इंतकाल संख्या 209

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

के खिलाफ अपील उपजिलाधीश राजस्व पदमपुर में पेश होने पर इंतकाल को निरस्त करने का मामला तहसीलदार पदमपुर को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार के समक्ष अपीलांटस ने पेश होकर समस्त रिकॉर्ड पेश किया, मगर तहसीलदार ने फिर भी इंतकाल रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के हक में करने का आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 मृतक मूलाराम के न तो वारिसान है, ना ही कोई दस्तावेजी सबूत ही पेश किया गया है, जब मामला विचाराधीन है तो एतराज होने का केवल मात्र उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाकर पेश करने पर उसको ही मान्यता प्रदान की जा सकती है। अतः उनको वारिस मान कर अदालत मातहत ने भूल की है। बिना उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के किसी प्रकार से वारिस घोषित नहीं किया जा सकता था, ना ही इंतकाल रेस्पोडेंट 2 ता 4 के हक में किया जा सकता था। मामला हाजा में ग्राम पंचायत रिडमलसर लगती है तथा उसने वह प्रमाण पत्र जारी किया है कि मृतक मूलाराम का कोई वारिस नहीं है जबकि अदालत मातहत ने ग्राम पंचायत 69 एलएनपी को पक्षकार बनाया है दोनों ही पंचायत अलग अलग है एक ओर अदालत मातहत ने निणर्य की प्रति ग्राम पंचायत रिडमलसर को भेजने का अन्त में लिखा है, दूसरी ओर उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांट ने पेश होकर एतराज पेश किए हैं । वारिसान का विवाद हो तो अदालत मातहत को साक्ष्य लेकर फैसला करना चाहिए था मगर रेस्पोडेंट 2 ता 4 जो कि मृतक मूलाराम वारिस नहीं है जमीन हडपना चाहतें है उनके द्वारा कोई गवाह तक पेश नहीं किया ना ही अपने आप को मूलराम की पुत्री होने का कोई आवश्यक अन्य दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किया है, केवल मात्र वारिस प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी जा सकती है। अपीलांट ने लिखित में 11.12.2012 को आपत्तियां पेश की है, मगर इसमें अंकित तथ्यों पर ना तो गोर किया ना विवेचन किया ना ही फाईडिंग दी है। अदालत मातहत ने ना तो कानूनी व विधिक प्रक्रिया को अपनाया है ना ही लैण्ड रिकॉर्ड रूलस के आदेशात्मक प्रावधानों धारा 126 से 135 की पालना की है। कब्जा के बारे में जांच करवाना जरूरी था जो कि नहीं करवाई व कब्जा के अभाव में रेस्पोडेंट 2 ता 4 के नाम से कानूनन भी इंतकाल नहीं किया जा सकता था। मूलाराम ने जब अपने जीवनकाल में ही मुखत्यारानाम रजि. दिया व बेचान भूमि का किया तो यह स्पष्ट है कि किसी प्रकार से रेस्पोडेंट अथवा अन्य के नाम से इंतकाल नहीं किया जा सकता है। अपील स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त करने का हुक्म फरमया जावें।

अपील प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्टस के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस के साथ मौखिक बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उन्हें विधिवत् रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया है। विवादित भूमि अपीलांट ने जरिये इकरारनामा क्रय की हुई है। खरीद की दिनांक से विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। अपीलांट को बिना सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा कब्जे की जॉच नहीं की गई है। कानूनी व विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है और ना ही लैण्ड रिकॉर्ड

जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)

रूलस के आदेशात्मक प्रावधानों धारा 126 से 135 की पालना की है। विवादित भूमि मु0 नं0 66 के 2.150 है0 पर अपीलांट का कब्जा है जो जाति से नायक है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अस्वीकृत फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने बहस में कहा है कि मूलाराम का मृत्यू प्रमाण पत्र सही है। ग्राम पंचायत रिडमलसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया अपना कर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः अपील अस्वीकार की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसम्मत् है । अतः अपील खारिज होने योग्य है।

दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–12 जिसके द्वारा मृतक मूलाराम के जायज वारिसों श्रीमती सन्तोदेवी, धापूदेवी, माहीदेवी के नाम इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिया है, को हस्तगत अपील के द्वारा निरस्त कराने का अनुतोष चाहा गया है।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि मूलाराम पुत्र श्री अमरा राम द्वारा नत्थासिंह पुत्र जंगीरसिंह के पक्ष में मुखत्यारनामा निष्पादित करवाया हुआ था जो उप पंजीयक कार्यालय, पदमपुर से दिनांक 11–11–68 को पंजीकृत है। उक्त मुखत्यारआम श्री नत्थासिंह द्वारा जरिये इकरारनामा दिनांक 6–2–95 को विवादित भूमि का बेचान अपीलांट के पक्ष में किया गया है। इकरारनामा में यह स्पष्ट अंकित किया है कि विवादित भूमि का कब्जा खरीददार को संभलवा दिया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो विवादित भूमि के कब्जे की जॉच की है और न ही अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य हेतु विधिवत् नोटिस जारी किया गया है और न ही लैण्ड रिकार्डस के रूल्स की पालना की गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पुनः सुनवाई एवं जॉच हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.12.2012 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी सम्बन्धित पक्षकरों को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, विवादित भूमि के कब्जे, अपीलांट के पक्ष में करवाये गये बेचान दस्तावेज को दृष्टिगत रखते हुए, लैण्ड रेकार्ड रूल्स की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भेजा जावे। उभय पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.07.2015 को उपस्थित हो।

आज दिनांक 26–6–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(करणसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राज.)